ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No. :UPBIL04292,
RNI REG. No.: UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No.: 561/2013-14 Vol.-5, No.-II, PP-280-284,YEAR- DEC.2016

भारत में संयुक्त परिवार

❑ डॉ0 राकेश गुप्ता

प्राचीन काल से भारत में परम्परागत परिवार की संरचना को संयुक्त परिवार के रूप में समझा जाता रहा है। भारत में संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि यह लोगों का वह समूह है, जिसमें तीन या अधिक पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे रहती हैं। एक ही चूल्हे से पका खाना खाती हैं और सामान्य गतिविधियों में भाग लेती हैं। ये लोग नातेदारी व्यवस्था के आधार पर सम्पत्ति में समान अधिकार रखते हैं।

कुछ विद्वानों के अनुसार, संयुक्त परिवार में सामान्य निवास और चूल्हे का होना आवश्यक नहीं है। इनके अनुसार, किसी भी परिवार के संयुक्त होने में तीन दशाओं का होना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार हैं –

1. पीढ़ियों की गहराई 2. अधिकार और दायित्व, तथा 3. सम्पत्ति।

समाजशास्त्रीय द्वारा दी गई संयुक्त परिवार की परिभाषा निम्नलिखित हैं –

1. इरावती कर्वे (Kinship Organization in Indi) के अनुसार–"एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से सम्बन्धित हैं।"

2. आई०पी० देसाई (The Joint family in India 1956) के अनुसार– "हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों (तीन या उससे अधिक) के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो एक दूसरे से सम्पत्ति, आय और परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्य द्वारा बँधे होते हैं" ।

3. एम०एन० श्रीनिवास (India : Social Structure) के शब्दों में– "वह गृहस्थ समूह जो प्रारम्भिक परिवार से बड़े होते हैं और जिसमें सामान्यतः दो या दो से अधिक एकाकी परिवार पाये जाते हैं, संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाते हैं।"

उपरोक्त सभी परिभाषाएँ यह दर्शाती है कि, "संयुक्त परिवार एक वंशक्रम से सम्बन्धित एकाकी परिवारों की बहुलता है, जो निवास और रसोई बनाने की .ष्टि से इकट्ठे रहते हों तथा जो एक ही व्यक्ति की सत्ता के अन्तर्गत कार्य करते हो।"

संयुक्त परिवार की विशेषताएं (Characteristics of Joint Family) – भौतिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक आदि आधार पर संयुक्त परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं –

1. बड़ा आकार (Large size) चूंकि कई पीढ़ी के सदस्य साथ साथ रहते हैं अतः इसका आकार बड़ा होता है

2. सामान्य निवास स्थान (Common Residence) कुछ विद्वान जैसे – मजूमदार व मदन, किंग्सले डेविस, इरावती कर्वे, आदि ने सामान्य निवास स्थान को संयुक्त परिवार का एक आवश्यक लक्षण माना है जबकि आई.पी .देसाई सामान्य निवास स्थान के पक्ष में नहीं है। उनका विचार है कि आधुनिक युग में यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य एक साथ रहे। बाहर रहते हुए भी पैतृकघर को अपना घर समझता है, समूहिक पूजा इत्यादि में उपस्थिति रहता है बड़ों के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है तो वह भी संयुक्त परिवार का ही सदस्य हैं।

❑ एसो0 प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग, नेशनल पी0 जी0 कालेज, भोगांव– मैनपुरी (उ0प्र0) भारत

3. सामान्य संपत्ति (Common Property)— संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है चाहे उसने स्वयं उपार्जित किया है या नहीं सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की ना होकर सम्पूर्ण परिवार की होती है। सामान्य संपत्ति की अवधारणा संयुक्त परिवार की एकता को बनाए रखने में सहायक होता है।

4. सहयोगी भावना (Co-operative Feeling)— इस भावना को 'हम की भावना' ॅम थ्ममस. पदहद्ध भी कहते हैं। संयुक्त परिवार में 'एक सबके लिए तथा सब एक के लिए' का सिद्धान्त लागू होता है। जो यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित होता है।

5. कर्ता की प्रधानता (Importance of Head of Family)— परिवार के संबंध में सभी निर्णय लेने का अधिकार कर्ता (मुखिया) का होता है। कर्त्ता द्वारा लिए गए निर्णय सभी को मानने पड़ते हैं। औद्योगीरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण नये वैधानिक नियम तथा नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा संयुक्त परिवार में प्रजातांत्रिक विचारों का समावेश हुआ है। जिससे कर्ता की सत्ता कमजोर हुई है।

7. सामान्य पूजा (Common Worship)— संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्यतः एक देवता या देवी की आराधना करते हैं। पितरों की पूजा पितृ प्रधान परिवार की विशेषता हैं तथा संयुक्त परिवार के सभी सदस्य इस पूजा में भाग लेते हैं। दैनिक, धार्मिक कृत्य, त्योहारों के समय पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्य उत्सव एवं त्यौहार संयुक्त परिवार के सदस्यों को एक साथ बांधे रखते हैं।

8. सामान्य रसोई (Common Kitchen)—संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही रसोई का पक्का भोजन करते हैं लेकिन यह तभी संभव है जब सभी सदस्य साथ रहते हो।

9. अधिकार और दायित्व (Rights and Obligations)— संयुक्त परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अधिकारों तथा कर्तव्य की भावना पाई जाती है। बड़े छोटे को स्नेह देते हैं उनका समाजीकरण करते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की यथासंभव पूरा करने का प्रयास करते हैं जबकि छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सहयोग से ही संयुक्त परिवार चल सकता है।

विभिन्न प्रकार के संयुक्त परिवार—

1. ओक्का (OKKA)— यह मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में पाए जाने वाला पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। कुर्ग लोग इसे 'नाड' कहते हैं इसका उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया ।

2. ईल्लम (ILLOM)— दक्षिण भारत के नम्बूद्रि ब्राह्मणों में पाया जाने वाला पितृ वंशीय संयुक्त परिवार है। इस की विशिष्टता परिवार की ईल्लम संपत्ति की अविभाजनीयता है। संपत्ति की संयुक्तता को बनाए रखने और ईल्लम को चलाए रखने के लिए सामान्यतः परिवार का ज्येष्ठ लड़का ही अपनी जाति अर्थात नम्बूद्रि लड़की से विवाह करता है। अगर ज्येष्ठ लड़की की कोई संतान नहीं होती है तो उससे छोटा लड़का जाति में ही विवाह करके संतानोत्पत्ति कर परिवार की निरंतरता को बनाए रखता है।

3. तारवाड़ (Tarwad)— केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले नायर जनजाति में पाया जाने वाला मातृ वंशीय संयुक्त परिवार है जब तारवाड़ बहुत बड़ा हो जाता है, तब इसे छोटी—छोटी तारवाड़ इकाइयों में विभाजित कर दिए जाते हैं, जिससे 'तावछी' कहते हैं। इन तावझियों की तारवाड़ की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं होता लेकिन इसका संबंध तारवाड़ के साथ यथावत बना रहता है।

4. कि बुद्ज (Kibbutz)— इजरायल का एक सामुदायिक परिवार है। विद्वान इसे परिवार मानने को लेकर आपस में विभाजित है।

5. मचोंग—गारो— जनजाति मे विद्यमान मातृवंशीय संयुक्त परिवार की प्रथा है। इसमें उत्तराधिकार छोटी लड़की को प्राप्त होता है।

संयुक्त परिवार के लाभ—प्रकार्य—

1. समाजीकरण का कार्य 2. मार्गदर्शन का कार्य 3. धार्मिक कार्य 4. सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा 5. धन का

उचित उपयोग 6. संपत्ति के विभाजन से बचाव 7. श्रम विभाजन 8. संकटकाल में सुरक्षा या बीमा 9. अनुशासन एवं नियंत्रण 10. संस्कृति की रक्षा 11. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा (हम की भावना में बढ़ोतरी के द्वारा) 12. मनोरंजन का कार्य (इरावती कवे संयुक्त परिवार में हर समय कुछ न कुछ रूचि कर होता ही रहता है। 13. समाजवाद (हेनरी मैंने संयुक्त परिवार को एक निगम बताया है।

संयुक्त परिवार के दोष–

1. व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक 2. अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि 3. देश के विकास में बाधक 4. गतिशीलता में बाधक 5. सामाजिक समस्याओं का पोषक 6. कलह का केंद्र 7. स्त्रियों की दुर्दशा 8. गोपनीय स्थान का अभाव 9. शुष्क एवं नीरस वातावरण 10. मुखिया की स्वेच्छाचारिता 11. अनियंत्रित प्रजनन

संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक–

1. औद्योगीकरण 2. महिला आंदोलन 3. परिवार के कार्यों का हस्तांतरण 4. नगरीकरण 5. कानूनों का प्रभाव 6. यातायात एवं संचार के साधन 7. सामाजिक सुरक्षा 8. पारिवारिक झगड़े 9. पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्त का प्रभाव 10. कृषि का ह्रास

डॉ0 कपाड़िया के अनुसार, संयुक्त परिवार में परिवर्तन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है–

1. नवीन न्याय व्यवस्था 2. यातायात के नवीन साधन 3. औद्योगीकरण 4. शिक्षा का प्रसार तथा परिवर्तन 5. परिवर्तित मनोवृत्तियाँ,

मिश्टन सिंगार ने परिवार में परिवर्तन के चार कारक बताये हैं–

1. आवासीय गतिशीलता 2. व्यवसायिक गतिशीलता 3. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा 4. मौद्रीकरण (Monetization)

संयुक्त परिवार में परिवर्तन का अध्ययन एवं निष्कर्ष –संयुक्त परिवार में आये परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अनेक समाजवादियों ने अपने अध्ययन कार्य किये हैं। संयुक्त परिवार की परिवर्तन की प्रक्रिया और उनकी दिशा तथा दशा का अध्ययन बताता है कि भारत में परिवार की संयुक्तता समाप्त नहीं हो रही है एवं न ही निकट भविश्य में इसकी संभावना है। परन्तु अब वृहद् संयुक्त परिवारों के स्थान पर दो पीढ़ियों वाला 'लघु संयुक्त परिवार' उभर रहा है। संयुक्त परिवार पर किये गये प्रमुख अध्ययन निम्नलिखित हैं–

1. जनगणना रिपोर्ट – गेट ने 1911 की भारत की जनगणना रिपोर्ट के आधार निष्कर्ष दिया कि संयुक्त परिवार विघटन की ओर अग्रसर हैं। गेट ने माना कि उच्च जातियों में संयुक्त परिवार अभी भी विद्यमान है, परन्तु निम्न जाति तथा जनजातियों में पुरुश विवाह के बाद अलग घर बनाते हैं। यही प्रवृत्ति 1951 की जनगणना रिपोर्ट में भी दिखती है।

2. के0टी0 मर्चेन्ट– मर्चेन्ट ने 1930 में 446 स्नातकों के अध्ययन के आधार पर (Changing Views on Marriage and Family) लेख में कहा कि लोग अब संयुक्त परिवारों में रहना पसन्द नहीं करते। स्त्रियाँ संयुक्त परिवार के विरोध में अधिक पायी गयी तथा पुरुष कम।

3. ए0डी0 रॉस– एबिन रॉस ने 1957 में बैंग्लोर में 157 हिंदू परिवारों के अध्ययन के आधार पर (The Hindu Family in its Urban Setting) पुस्तक में कहा कि प्रौद्योगिकी कारक संयुक्त परिवारों को परिवर्तित कर रहे हैं। 1. संयुक्त परिवार की ओर विघटन, 2. लघु संयुक्त परिवार अब भी पारिवारिक जीवन का एक विशिष्ट मानक, 3. अधिकतर लोग जीवन का कुछ समय एकाकी परिवार में बिताते हैं।

4. ए0एम0 शाह– शाह ने गुजरात के एक गांव के अध्ययन के आधार पर "Basic terms and Concepts in the Study of Family in India" लेख में कहा कि संयुक्त परिवार छोटे कस्बों की विषेशता है, परन्तु इसका विघटन हो रहा है।

5. आई0पी0 देसाई– देसाई ने 1955 गुजरात के महुआ नगर के 423 परिवारों का अध्ययन के आधार पर "Some Aspects of Family in Mahua" पुस्तक में निम्न निष्कर्ष दिए– 1. एकिकता बढ़ रही है तथा संयुक्तता घट रही है, 2. व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही है, 3. नातेदारी सम्बन्ध कम हो रहे हैं।

6. के0एम0 कपाड़िया— कपाड़िया ने 1955 में गुजरात के सूरत में नवसारी नगर के अध्ययन के आधार पर (Rural Family Patterns : A Study in Urban-rural relationship) लेख में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा निष्कर्ष निकाला कि 1. संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में नही बदल रहा है, (नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक संयुक्त परिवार हैं) तथा इनका आकार ग्रामों की तुलना में बढ़ा है, 2. ग्रामीण व नगरीय परिवारों के स्वरूप में अन्तर जाति प्रथा में आर्थिक कारकों द्वारा हो रहे परिवर्तन के परिणामस्वरूप आया है।

7. रामकृश्ण मुखर्जी— मुखर्जी ने पश्चिमी बंगाल में 1960 के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि संयुक्त परिवार, एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं।

8. एम0एस0 गोरे— गोरे ने 1960 में हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किया (Urbanization and Family Change) तथा निष्कर्ष निकाला कि लोगों का झुकाव संयुक्त परिवारों की ओर है, परन्तु शिक्षा तथा नगरीय प्रभाव इसे प्रभावित कर रहे हैं।

9. एडविन ड्राइवर— ड्राइवर ने 1958 में नागपुर में सर्वेक्षण के आधार पर निष्कर्ष दिया कि नगरीय क्षेत्रों में एकाकी परिवार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय वर्ग में निम्न आय वर्ग की अपेक्षा संयुक्त परिवार अधिक हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग में उच्च आय वर्ग की अपेक्षा संयुक्त परिवार अधिक हैं। ड्राइवर ने पीढ़ियों के अंतर के आधार पर भी परिवार का अध्ययन किया तथा पाया कि बूढ़ें दम्पत्तियों में संयुक्त परिवार अधिक पाये जाते हैं।

10. सच्चिदानन्द — ने 1970 में बिहार के शाहाबाद जिले के 30 ग्रामों का अध्ययन परिवार के प्रकार तथा विविध चरों जैसे जाति, शिक्षा, भूमि–आकार व परिवार के आकार तथा आधार पर किया तथा पाया कि अनुसूचित जातियों में संयुक्त परिवार तथा उच्च जातियों में एकाकी परिवार अधिक पाये गये यद्यपि सभी जातियों में संयुक्त परिवार का प्रतिशत 70 से अधिक था।

11. बी0वी0 शाह— शाह ने गुजरात के छात्रों (बड़ौदा विश्वविद्यालय) के सर्वेक्षण के आधार पर कहा कि अधिकतर छात्र 80 प्रतिषत संयुक्त परिवार के पक्ष में थे।

12. पोलिन कोलिण्डा— कोलिण्डा ने 1950 से 1970 के बीच के 26 अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष दिया कि— 1. यद्यपि अधिक संख्या में लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, परन्तु संरचना की दृष्टि से अधिक परिवार, एकाकी हैं। 2. संयुक्त परिवारों में क्षेत्रीय अन्तर है। 3. संयुक्त परिवार उच्च जातियों में निम्न जातियों की अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं। 4. जाति प्रस्थिति संयुक्त परिवारों के आधार व अनुपात से अधिक सम्बन्धित है।

13. मोरिशन— मोरिशन ने बादलपुर तथा पूना के अध्ययन के आधार पर कहा कि भारत में एकल परिवार (Nuclear) अधिक हैं।

14. एस0सी0 दूबे— दुबे के अनुसार परिवार के प्रकार तथा संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। सरल परिवार, विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है और फिर सरल परिवारों में टूट जाता है। वृद्ध माता–पिता अपने किसी पुत्र के साथ रहने लगते हैं, परिवार का यह क्रम चलता रहता है। पूर्ण विस्तृत तथा पूर्ण सरल परिवार तकनीकी रूप से बहुत कम पाये जाते हैं। भारत में पति–पत्नी के संबंधों का मूल्यांकन विलयम गुडे, कपाड़िया, गौर और मरेस्ट्रास द्वारा किया गया। मरे स्ट्रास के अनुसार, एकिकता (Nuclearity) तथा निम्न सामाजिक प्रस्थिति ने परिवार में पति की शक्ति में कमी की है। इनके अनुसार, मध्यवर्गीय पति, श्रमिक वर्गीय पति की अपेक्षा अधिक प्रभावी शक्ति रखता है, अर्थात्श्रमिक वर्ग परिवार, अधिक प्रमुख भूमिका वाले तथा स्वायत्त होते हैं।

विलियम जे0गुडे के अनुसार 1. परिवार विस्तृत परिवार से दाम्पत्य पिरवार में बदल रहा है, 2. व्यवस्थित विवाह में कमी तथा प्रेम विवाह में वृद्धि

3. विवाह के आर्थिक महत्व में कमी, परंतु भारत में यह बढ़ रहा है (दहेज प्रथा)। 4. नातेदारों के मध्य विवाह सम्बन्धों में कमी आ रही है। 5. पारिवारिक नियंत्रण में कमी हो रही है। क्लेटन ने परिवार में परिवर्तन को आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन से जोड़ा है। कृषक समाजों में विस्तारित परिवार तथा आधुनिक समाज में एकाकी परिवार की विद्यमानता है। मिल्टन सिंगर ने माना कि संयुक्त परिवार, औद्योगिक घरानों में अभी भी विद्यमान है, जबकि उनके रहन–सहन में अत्यधिक परितर्वन आ चुके हैं। इनके अनुसार, औद्योगिक केन्द्रं, संयुक्त परिवार के नये क्षेत्र हैं।

पोलिन कोलेण्डा के अनुसार, औद्योगिकता ने संयुक्त परिवार को मजबूत किया है, क्योंकि संयुक्त परिवार को औद्योगिकीकरण ने आर्थिक आधार प्रदान किया है।

गार्गरेट कॉरमैक– ने बंगलौर के युवाओं का अध्ययन किया तथा पाया कि ये विवाह अपनी स्वयं की मर्जी से करना चाहते हैं तथा नातेदारों से कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं।

सिलविया बाटुक ने मेरठ के मध्य वर्ग के अध्ययन के आधार पर कहा कि इनमें एकल परिवार अधिक पाये जाते हैं परन्तु संयुक्त परिवार के प्रति आज भी इनकी भावनाएँ मजबूत हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Caste System in India, Singh Ekta
2. Family Law, B.M. Gandhi
3. Hindu Undivided Families, Sharma, Ram Dutt.
4. Joint Property and Partition, Sharma K.M., Kamal Publishers
5. समाजशास्त्र, धर्मेन्द्र कुमार